Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- श्री पदाराम उर्फ पदमाराम मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सादडी जिला पाली 15,000/— रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 20 मई, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी पाली द्वितीय द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री पदाराम उर्फ पदमाराम मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सादडी जिला पाली को **15,000/— रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी पाली द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के विरूद्ध पुलिस थाना सादडी में दर्ज प्रकरण में एफआर देने की एवज में पदाराम उर्फ पदमाराम मीणा एएसआई रिश्वत राशि की मांग कर रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरविजन में एसीबी चौकी पाली द्वितीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खींव सिंह** एवं अन्य के द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाकर आज दिनांक 20.05.2025 को ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री पदाराम उर्फ पदमाराम मीणा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सादडी जिला पाली को रिश्वत राशि 15,000 रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।